क्रम संख्या--195

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/02

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002 ई०

अग्रहायण 01, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

पेयजल अनुभाग

संख्या 2878/नौ–2(12 अधि०)/2001

देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" को दिनांक 7 नवम्बर, 2002 की तिथि से गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(पी० के० महान्ति)

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2878/Nine-2 (12 Adhi.)/2001, dated November 22, 2002 for general information :

No. 2878/Nine-2 (12 Adhi.)/2001
Dated Dehradun, November 22, 2002

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2002, the Governor is pleased to constitute the "Uttaranchal Payjal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam" which shall be deemed to have been constituted with effect from the date of 7th November, 2002.

By Order,

(P. K. MOHANTY)
Secretary.

पी०एस०यू०(आर०ई०) 05 पेयजल/496–2002–75+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–191

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 नवम्बर, 2002 ई०
कार्तिक 16, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
पेयजल अनुभाग
संख्या 2231/नौ-2 (12 अधि०)/2001
देहरादून, 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप, में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समाचीन हो ;
तथा चूंकि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है ;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

(i) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जाएगा।

(ii) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(iii) यह अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा।

धारा 2 का संशोधन

2— (i) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (12) में उल्लिखित शब्द " नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति और गांव सभा" निम्नवत पढ़ी जाएगी :—

"नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत"

(ii) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (15) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :—

(15) "निगम" का तात्पर्य "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम"

धारा 3 का संशोधन

3 (i) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में "उत्तर प्रदेश जल निगम" शब्द के स्थान पर "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" रख दिया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में शब्द "लखनऊ" के स्थान पर "देहरादून" रख दिया जाएगा।

धारा 4 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में निम्न व्यवस्था समझी जाएगी :—

4 (1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त निगम का एक अध्यक्ष होगा, जो सचिव, पेयजल विभाग — पदेन अध्यक्ष होगा।

4 (2) अध्यक्ष से भिन्न सदस्य निम्नलिखित व्यवस्था से नियुक्त समझे जाएंगे :—

(क) राज्य सरकार द्वारा, अर्हित अभियंता जिनके पास प्रशासनिक अनुभव तथा जल सम्भरण एवं सीवरेज कार्य से संबंधित अनुभव हो, प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, तथा जिसे इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

(ख) — राज्य सरकार का वित्त सचिव — पदेन सदस्य।

(ग) — राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव — पदेन सदस्य।

(घ) — राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव — पदेन सदस्य।

(ङ) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक — पदेन सदस्य।

(च) — राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का ज्ञान एवं अनुभव हो।

(छ) — राज्य सरकार द्वारा नामित, एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए, कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान — सदस्य।

(ज) — उत्तरांचल जल संस्थान का मुख्य महाप्रबंधक — पदेन सदस्य।

(3) — पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जाएगी।

(4) — उपधारा (2) के उपबन्ध (ख), (ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ङ) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकेगा। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार होगा।

धारा 14 का संशोधन

5 (i) — मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "योजनाएं तैयार कराया जाना" तथा "निष्पादन कराना" के बीच में "निर्माण" शब्द रख दिया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) (3) के बाद धारा 14 (1), (14) से पहले निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाएगा :–

"निर्माण संस्था राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा राज्य से बाहर भी निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य कर सकेगी"।

धारा 16 का निरसन

6. मूल अधिनियम की धारा 16 निरसित समझी जाएगी।

धारा 20 का प्रतिस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नवत प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा –

(i) मूल अधिनियम की धारा 18 कि अन्तर्गत कुमायूं तथा गढवाल जल संस्थान के एकीकरण के फलस्वरूप गठित "उत्तरांचल जल संस्थान" की सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में अधिकारिता है, जिसका पदेन अध्यक्ष सचिव, पेयजल होगा, जो उपबन्ध (2) में इंगित सदस्यों से अतिरिक्त होगा।

(ii) उपधारा (1) में उल्लिखित पदेन अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे :–

(क) मुख्य महाप्रबंधक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अर्हित अभियंता जिनके पास प्रशासनिक तथा जल सम्भरण एवं सीवरेज कार्य से संबंधित अनुभव हो, नियुक्त किया जाएगा, एवं इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

(ख) राज्य सरकार का वित्त सचिव – पदेन सदस्य।

(ग) राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।

(घ) राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।

(ङ) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक – पदेन सदस्य।

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का अनुभव हो।

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान – सदस्य।

(ज) उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का प्रबंध निदेशक – पदेन सदस्य।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जाएगी।

(4) उपधारा (2) के उपबन्ध (ख) (ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ङ) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकेंगे। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार होगा।

धारा 25 का संशोधन

8 (i) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) को निम्नवत पढ़ा जाय :– उपधाराओं में वर्णित "निगम" शब्द के स्थान पर "राज्य सरकार" रख दिया जाएगा।

8 (ii) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (8) में "निगम" शब्द का प्रतिस्थापन कर "राज्य सरकार" पढ़ा जाना समझा जाएगा।

धारा 30 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 30 में वर्णित शब्द "निगम" के स्थान पर "राज्य सरकार" पढ़ा जाएगा।

धारा 37 का संशोधन

10. (1) मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में शब्दावली "राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग" के पश्चात " नियत दिनांक "को तथा से निगम का कर्मचारी हो जाएगा" के स्थान पर शब्दावली "उत्तर प्रदेश जल निगम जिसे तत्कालीन पर्वतीय उपसंवर्ग का सदस्य होने के कारण उत्तरांचल राज्य आवंटित हो अथवा उत्तरांचल राज्य में कार्य करने हेतु विकल्प दिया हो, या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया हो, नियत तिथि से उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के कार्मिक माना जाएगा" प्रतिस्थापित कर दी जाएगी।

मूल अधिनियम की धारा 43 का संशोधन

11 मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 1 में शब्द "निगम" के पश्चात एवं "उत्तरांचल जल संस्थान" जोड़ा जाएगा।

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to order publication of the following English version of notification no. 2231/Nine-2 (12 Adhi.)/2001, dated November 07, 2002 for general information.

No.2231/Nine-2 (12 Adhi.)/2001
Dated Dehradun, November 07, 2002

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

Whereas under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2002, the Uttaranchal Government may by an order make such adaptations and modifications of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

And whereas under Section 86 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2002, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 is in force in the State of Uttaranchal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred Under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000 (Act No- XXIX of 2000) the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 shall have applicability to the state of Uttaranchal subject to the provision of the following order :-

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE ACT, 1975) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title, extent and commencement.

1(i) This order may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2002.

(ii) It extends to whole of Uttaranchal excluding Cantonment areas.

(iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2

2(i) In Subsection (12) of Section 2 of the Principal Act for the words "Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area Commmittee, Zila Parishad, Kshettra Samiti, or a Gaon Sabha" the following sub-section shall be subsituted, namely :-

"Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchyat, Zila Panchyat, Kshetra Panchyat, or a Gram Panchyat".

(ii) In subsection (15) of Section 2 of the Principal Act for the words "The Uttar Pradesh Jal Nigam" the following words shall be subsituted, namely :-

"The Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam".

Amendment of Section 3

3(i) In subsection (1) of Section 3 of the Principal Act in place of "Uttar Pradesh Jal Nigam" the following words shall be subsituted, namely :-

"The Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam".

3(ii) In subsection (4) of Section 3 of the Principal Act for the word "Lucknow" the word "Dehradun" shall be subsituted.

Subsection of Section 4

4. For section 4 of of the Principal Act the following section shall be subsituted, namely :-

"4 (1) The Nigam shall consist of a Chairman, who shall be Secretary of Pey Jal Vibhag *Ex officio*, besides the members specified in subsection (2).

(2) The members, other than the chairman shall be as follows, namely :-

(a) A Managing Director to be appointed by the State Government, who shall be full time qualified engineer having administrative experience and also the experience of Water Supply and Sewerage works.

(b) Secretary to the State Government in the Finance Department *ex-officio*.

(c) Secretary to the State Government Department of planning *ex-officio*.

(d) Secretary to the State Government Department of Urban development *ex-officio*.

(e) Director General Medical and Health Services, Uttaranchal Government *ex-officio*.

(f) Director Finance to be appointed by the State Government, who shall have experience of matters relating to finance and accounts.

(g) Four elected Heads of Local Bodies including one from Nagar Nigam to be nominated by the State Government.

(i) Chief General Manager of Uttaranchal Jal Sansthan *ex-officio*.

(3) Members other than *ex-officio* members shall be notified in the Official Gazette.

(4) A member referred to in clause (b), (c) and (d) of subsection (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Joint Secretary in his department, and not below the rank Additional Director in case of a member referred to in clause (e) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote."

Amendment of Section 14

5.(i) In Section 14 (1) between the words "the preparation" and "execution" the word "construction" shall be inserted.

5.(ii) After Section 14(1)[iii] and before 14(1)(xiv) the following subsection shall be added, namely :-

"To function as Construction Agency for other Departments of the State Government and also out side the State.

Repeal of Section 16

6. Section (16) of the Principal Act is repealed.

substitution of section 20

7. For Section 20 of the Principle Act, the following section shall be substituted, namely :-

Constitution of Uttaranchal Jal Sansthan

"20,(1) A Jal Sansthan, to be known as "Uttaranchal Jal Sansthan" constituted under Section 18 of the Principal Act having jurisdiction throughout the State of Uttaranchal by amalgamation of "Garhwal Jal Sansthan" and "Kumaun Jal Sansthan", shall have Chairman who shall be the Secretary of the Pey Jal Vibhag to the Government *Ex-officio*, besides the members specified in sub-section (2).

20,(2) The Member other the Chairman shall be as follows :-

(a) A Chief General Manager to be appointed by the State Government, who shall be qualified engineer having administrative experience of Water Supply and Sewerage works.

(b) Secretary to the State Government in the Finance Department *ex-officio*.

(c) Secretary to the State Government Department of planning *ex-officio*.

(d) Secretary to the State Government Department of Urban development *ex-officio*.

(e) Director General Medical and Health Services, Uttaranchal Government *ex-officio*.

(f) Director Finance to the appointment by the State Government, who shall have experience of matters relating to finance and accounts.

(g) Four elected Heads of Local Bodies including one Nagar Nigams to be nominated by the State Government.

(h) Managing Director of Uttaranchal Pey Jal Nigam *ex-officio*.

20, (3) Members other than *ex-officio* members shall be notified in the Official Gazette.

20, (4) A member referred to in clause (b), (c) and (d) of subsection (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Joint Secretary

in his department, and not below the rank Additional Director in case of a member referred to in clause (e) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote."

8(i) In subsection (6), of section 25 of the Principal Act for words "Subject to approval of the Nigam" the words "Subject to approval of the State Government" shall be substituted. — Amendment of Section 25

8(ii) In subsection (8), of section 25 of the Principal Act for word "Nigam", the words "State Government" shall be substituted.

9. In Section 30 of section 25 of the Principal Act for word "Nigam" the word "State Government" shall be substituted. — Amendment of Section 30

10(1) In Section 37(1) of the Principal Act after the words "Local Self Government Engineering Department of the State Government" the words "Uttar Pradesh Jal Nigam who are allotted Uttaranchal State on account of being a member of hill sub-cadre, or an option for Uttaranchal State or on account of any decision of a competent court of law, shall on and from the appointed day become employee of the "Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam" shall be substituted. — Amendment of Section 37

11. In Section 43(1) of the Principal Act between the words "Nigam" and "for the purposes" the words "Uttaranchal Jal Sansthan" shall be inserted. — Amendment of Section 43

(P.K. Mohanty)
Secretary

पी०एस०यू० (आर०ई०) 4 पेयजल/427–2002–500+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तर प्रदेश

जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, १९७५[1]

[U. P. WATER SUPPLY AND SEWERAGE ACT, 1975]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४३, १९७५)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिए एक निगम, प्राधिकारियों तथा संगठनों की स्थापना और उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, केन्टूनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर, होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

²[(४) इसे १८ जून, १९७५ से प्रवृत्त समझा जायेगा ।]

२—परिभाषायें—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) "मल कूप" के अन्तर्गत कोई ऐसा तलछट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी भू-गृहादि से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिये हो;

(२) "संचारण पाइप" का तात्पर्य किसी पाइप या समस्त फिटिंग सहित ऐसे पाइप तंत्र से है जिसके द्वारा प्रनाड (मेन) से किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजक पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है;

(३) "संयोजक पाइप" का तात्पर्य किसी चूड़ी (फेरूल) से रोक-टोंटी तक, ऐसे जल के पाइप से है जो, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम के प्रनाड (main) से सेवा पाइप को जोड़ता हो;

---

१. "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०१ के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५ पर दिनांक ८ सितम्बर, १९७५ ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४३, १९७५ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचना संख्या ३१३१/सत्रह-वि०-२०-७५, दिनांक ८ सितम्बर, १९७५ द्वारा उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक ८ सितम्बर १९७५ को प्रकाशित हुआ ।

२. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

(४) "उपभोक्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम से किसी प्रकार के जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का लाभ मिलता हो;

(५) "घरेलू सीवेज" का तात्पर्य निवास-स्थानों, बोर्डिंग तथा लाजिंग हाउसों, छात्रावासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों से जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हों, निकलने वाले और वैयक्तिक तथा सामान्य मानव कार्य-कलापों से जैसे कि पानी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने से उत्पन्न उच्छिष्ट जल से है;

(६) "नाली" के अन्तर्गत मल नाला, सुरंग, पाइप, खाई (डिच), मल नाली (गटर) या जल कुल्या (चैनल) अथवा जल कुण्ड (सिस्टर्न), फ्लश टंकी, मल टंकी (सेप्टिक टैंक) अथवा कोई अन्य युक्ति जो सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, कूड़ा-करकट, उच्छिष्ट जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने अथवा शोधन के लिये हो, तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, संवातन नाल या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग, जो ऐसी नाली से जुड़ी हो, और कोई निष्कासक (इजेक्टर), संदावित वायु प्रनाड, मुहरबन्द सीवेज प्रनाड और कोई विशेष मशीनरी अथवा साधित्र भी है, जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिये हो;

(७) "जोड़ चूड़ी" का तात्पर्य ऐसी जोड़ चूड़ी से है जो संयोजक पाइप को प्रनाड (main) से जोड़ती हो;

(८) "महा प्रबन्धक" का तात्पर्य धारा २० की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त जल-संस्थान के महा प्रबन्धक से है;

(९) "जल संस्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से है जिसे एक या अधिक स्थानीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाय;

(१०) "स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग" और "सामुदायिक विकास विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है;

(११) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत हो;

(१२) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति या गांव सभा से है;

(१३) "प्रनाड" (main) का तात्पर्य, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम द्वारा व्यष्टिक उपभोक्ताओं के लिये सम्भरण से भिन्न जल के सामान्य सम्भरण के लिये निकाले गये पाइप से है और इसके अन्तर्गत ऐसे पाइप के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है;

(१४) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है;

(१५) "निगम" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश का निगम से है;

(१६) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है;

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में स्वामी को तत्काल किराया या उसका कोई भाग देता हो अथवा उसका देनदार हो;

(ख) कोई स्वामी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो,

(ग) ऐसे भू-गृहादि का किरायेदार जो किराया देने से मुक्त हो ;

(घ) कोई लाइसेंसधारी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो ; और

(ङ) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि का प्रयोग और अध्यासन करने के सम्बन्ध में स्वामी को क्षतिपूर्ति का देनदार हो ;

(१७) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जो उसका किराया लेने का हकदार हो यदि भू-गृहादि किराये पर दिया जाय और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :

(क) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के मद्धे ऐसा किराया लेता हो ;

(ख) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये अर्पित किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो या जिसे उसका प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

(ग) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उक्त भू-गृहादि का प्रभार लेने के लिये या ऐसे भू-गृहादि के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त रिसीवर या प्रबन्धक; और

(घ) भोग-बन्धकी ;

(१८) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है ;

(१९) "विहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है ;

(२०) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य विहित प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी से है ;

(२१) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, "असार्वजनिक मार्ग", "सार्वजनिक मार्ग" तथा "मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि में हों ;

(२२) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(२३) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(२४) "सेवा पाइप" का तात्पर्य रोक-टोंटी से परे संयोजक पाइप से भिन्न किसी पाइप से है, जिसके द्वारा किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो ;

(२५) "सीवेज" का तात्पर्य विष्ठा (night soil) या नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नलकूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं, और होदों, स्नानागार, अस्तबल, पशु-शाला तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों के दूषित जल से है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ भी है ;

(२६) "सीवर" का तात्पर्य सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, उच्छिष्ट जल (waste water) अथवा अवभूमि जल (sub-soil water) बहा ले आने के लिये बन्द नाला से है ;

(२७) "सीवर-व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्त्योत्पत्ति (end products) को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है:

(२८) "रोक-टोंटी" का तात्पर्य ऐसी रोक-टोंटी से है, जो किसी भू-गृहादि के जल सम्भरण को बन्द अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ प्रनाड (main) से दूर संयोजक पाइप के सिरे पर लगी हो ;

(२९) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" का तात्पर्य किसी ऐसे द्रव पदार्थ, चाहे उसमें पदार्थ के कण घुले मिले हों या न हों, से है जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या उद्योग जिसके अन्तर्गत कृषि तथा औद्यानिकी (horticulture) भी है, के दौरान उत्पादित या उत्सर्जित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू सीवेज नहीं है ;

(३०) "जल संयोजन" के अन्तर्गत—

(क) कोई ऐसी टंकी, जल कुन्ड, बम्बा (हाइड्रेन्ट), स्थायी नल, मीटर या टोंटी भी है, जो किसी असार्वजनिक सम्पत्ति में स्थित हो और जल संस्थान के प्रनाड (main) या अन्य पाइप से संयुक्त हो ; और

(ख) जल का ऐसा पाइप भी है जो ऐसी टंकी, जल कुन्ड, बम्बा, स्थायी नल, मीटर या टोंटी को ऐसे प्रनाड (main) या पाइप से जोड़ता हो ;

(३१) "जल सम्भरण" का तात्पर्य किसी समुदाय को पीने को तथा अन्य घरेलू उपयोगों, उद्योग, आमोद-प्रमोद तथा विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की अपेक्षा को पूरा करने वाली जल व्यवस्था प्रणाली से है ;

(३२) "जल कल" के अन्तर्गत जल मार्ग (जिसमें कोई सोता, झील, झरना, नदी या नहर, कुआं, पम्प, गैलरी, जलाशय, जल कुन्ड, टंकी सम्मिलित है), नलिका चाहे वह ढंकी हो या खुली, शोधन यूनिट, जल कपाट, सम्भरण प्रनाड, पुलिया, इंजन, जल वाहन, बम्बा, स्थायी नल, वाहक नाला और मशीन, भूमि, भवन या ऐसी अन्य वस्तु है जो जल सम्भरण के लिये हो, अथवा जल सम्भरण के लिये प्रयुक्त हो अथवा जल सम्भरण के स्रोतों का संरक्षण करने के लिये या जल शोधन के लिए हो।

अध्याय २

निगम की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियां

३—निगम की स्थापना—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से, उत्तर प्रदेश जल निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(२) उत्तर प्रदेश जल निगम उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से यह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(३) निगम सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(४) निगम का प्रधान कार्यालय, लखनऊ में होगा, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी उसके कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझे।

४—निगम का गठन—(१) निगम में, उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(२) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

(क) एक प्रबन्ध निदेशक (जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी), जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(ख) एक वित्त निदेशक (जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा), जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

[1][(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रभारी जल सम्भरण विभाग, पदेन ;

(घघ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, पदेन]

(ङ) स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(च) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(छ) राज्य में स्थानीय निकायों के [2][पांच] निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष की तथा पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

[3][(४) निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक में उपस्थित होने के लिए, उपधारा (२) के [4][खण्ड (ग) खण्ड (घ) या खण्ड (घघ)] में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, उक्त उपधारा के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को और उक्त उपधारा के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकारी होगा।]

५—अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता—कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो ;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

---

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा खण्ड (घ) के स्थान पर रखे गये।

२. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा शब्द "तीन" के स्थान पर रखा गया।

३. उपरोक्त अधिनियम द्वारा उपधारा (४) प्रतिस्थापित की गयी।

४. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा शब्द "खण्ड (ग) या खण्ड (घ)" के स्थान पर रखा गया।

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो ;

(घ) धारा ६ और ७ में यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के अधीन किसी लाभ के पद पर हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो—

(१) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में,

(२) धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में,

(३) किसी ऐसे समाचार-पत्र में जिसमें निगम के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो,

(४) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा-कदा बिक्री में,

कोई अंश या हित है।

६—अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल—(१) निगम का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(२) धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (छ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रधान के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(३) धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(४) अध्यक्ष या कोई अन्य उपर्युक्त सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

७—अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध—(१) अध्यक्ष तथा धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्त सदस्यों को निगम की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय।

(२) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का सम्पादन करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

८—कर्मचारियों की नियुक्ति—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति तथा उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(२) निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, निगम का कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

९—कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियन्त्रण—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष का निगम के अन्य समस्त कर्मचारियों पर सामान्य नियन्त्रण तथा निर्देश होगा और इस बात के अधीन रहते हुए प्रबन्ध-निदेशक का उन पर नियन्त्रण होगा।

१० निगम के आदेशों तथा अन्य लिखतों (instruments) का अधिप्रमाणीकरण—(१) निगम की सभी कार्यवाहियां निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निगम के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें निगम के प्रबन्ध-निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी।

(२) निगम किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमन्त्रित कर सकता है और इस प्रकार आमन्त्रित व्यक्ति निगम की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

११—शक्तियों का प्रतिनिधान (Delegation of powers)—इस अधिनियम उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक या निगम के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो धारा ३९, ४८ और ५० के अधीन उसकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

१२—हित होने के कारण निगम की कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता—(१) निगम का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा ५ के खण्ड (ङ) या (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ढ) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो,

धारा ९ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में निगम या उसकी किसी समिति की किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत किसी संकल्प या प्रश्न पर चर्चा भी है, न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(२) यदि निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो, तो वह निगम की या उसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार किया जाना हो, भाग नहीं लेगा।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) की कोई बात निगम या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

१३—अनौपचारिकता रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे—निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

(क) निगम या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने,

के कारण अविधिमान्य न होगी।

१४—जल निगम के कृत्य—निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे :

(१) जल सम्भरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण के लिए योजनायें तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना;

(२) राज्य सरकार, और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यष्टियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(३) राज्य सरकार के निदेश पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनायें तैयार करना;

(४) जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल सम्भरण के परिव्यय का पुनर्विलोकन करना और उन पर सलाह देना;

(५) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना;

(६) जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सेवाओं के लिये राज्य मानक स्थापित करना;

(७) ऐसे सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं हैं और जो इस अध्यादेश के आरम्भ होने के पूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे;

(८) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना;

(९) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना;

(१०) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तो किसी जल-कल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिये जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और उनका अनुरक्षण करना;

(११) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना;

(१२) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिये व्यावहारिक गवेषणा (research) करना;

(१३) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों को करना; और

(१४) ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायं।

१५—निगम की शक्ति—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हों,

(२) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :

(१) राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना;

(२) किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझे;

(३) अपने कार्मिकों के लिये तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(४) जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करना;

(५) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी सभी सेवाओं के लिये फीस की अनुसूची निर्धारित करना;

(६) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए आवश्यक समझे;

(७) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;

(८) जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये टैरिफ का अनुमोदन करना;

(९) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(१०) स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिये ऋण वितरण करना;

(११) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिये व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

१६—रिपोर्ट तथा सूचना मांगने की शक्ति—(१) निगम किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय से ऐसी रिपोर्ट तथा सूचना जिसे निगम आवश्यक समझे, मांग सकता है और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) (क) इस प्रकार जारी किये गये निदेशों का सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय द्वारा, यथाशक्यशीघ्र, अनुपालन किया जायगा;

(ख) यदि ऐसा जल संस्थान या स्थानीय निकाय ऐसे निदेशों से असहमत हो अथवा उनका अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

१७—पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय—निगम किसी ऐसी योजना या निर्माण-कार्य के व्यय में, जिसके निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन का कार्य धारा १४ के खण्ड (१) के अधीन किया जाय, पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय, ऐसी दर पर, जो ऐसी सीमा से अधिक न हो जिसे विहित किया जाय जिसे वह धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (५) के अधीन अवधारित करे, सम्मिलित कर सकता है।

अध्याय ३

जल संस्थानों की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियां

१८—जल-संस्थान की स्थापना—(१) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो और किसी क्षेत्र में जल सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक या समीचीन समझा जाय तो वह उस क्षेत्र के लिये जल संस्थान के नाम से एक निकाय गठित कर सकती है।

(२) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से, गठित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई जल संस्थान [1][जो धारा २० की उपधारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट जल संस्थान न हो] इस प्रकार गठित किया जा सकता है कि एक या एकाधिक स्थानीय निकायों के स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, उसकी अधिकारिता हो।

(४) जल संस्थान शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह जल संस्थान "(क्षेत्र का छोटा नाम जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो) जल संस्थान" के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(५) जल संस्थान को सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(६) जल संस्थान का मुख्य कार्यालय उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा।

(७) जल संस्थान का अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, उप-कार्यालय हो सकता है।

(८) राज्य सरकार, जहां वह लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से,—

(क) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के खण्ड में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र अलग कर सकती है;

(ख) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के खण्ड को दो या अधिक जल संस्थान के क्षेत्र में पृथक-पृथक बांट सकती है;

(ग) उपधारा (१) अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्रों को एकल जल संस्थान के क्षेत्र में समामेलित कर सकती है, या

(घ) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के खण्ड का कोई भाग ऐसा क्षेत्र न रह जाने की घोषणा कर सकती है।

[2][१९—जल संस्थान के रूप में जल निगम—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों और जिनके लिए धारा १८ के अधीन कोई जल संस्थान स्थापित न किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, जल संस्थान की सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन जल निगम द्वारा किया जायगा और तदुपरान्त ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ जल निगम को जल संस्थान समझा जायगा और ऐसी अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांक समझा जायगा।]

---

१. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

२. उपरोक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[1][२०—जल संस्थान का गठन—(१) नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता के लिए गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष, जो नगर महापालिका का नगर प्रमुख (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक ; उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ग) नगर महापालिका के तीन सभासद, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ;

(च) नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी ।

(२) म्युनिसिपल बोर्ड के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कोई अधिकारी, जिसे जिला-मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ग) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(घ) उस जिले का, जहां जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हो, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) ;

(ङ) एक अधिकारी, जिसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;

(च) म्युनिसिपल बोर्ड के दो निर्वाचित सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ।

(३) किसी अन्य जल-संस्थान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर, पदेन,

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय उस संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो ;

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

(ग) एक महाप्रबन्धक [1][जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा] जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के स्थानीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों या सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जल-संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या पांच से कम है वहां ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या पांच होगी जिनमें से प्रत्येक जिले से कम से कम एक व्यक्ति होगा ;

(च) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का मुख्यालय स्थित हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।]

२१—अनर्हतायें—निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हताओं से सम्बन्धित धारा ५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पदों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

२२—कार्यकाल—(१) जल संस्थान का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(२) धारा २० के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(३) धारा २० की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा ।

(४) जल संस्थान का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

२३—पारिश्रमिक—(१) जल संस्थान के अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्यों को, जो जल संस्थान के लिये पूर्णकालिक रूप से कार्य करें, जल संस्थान की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार निश्चित करे ।

(२) यदि जल संस्थान का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्त्तव्यों के पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का सम्पादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

२४—जल संस्थान के कृत्य—जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे :

(१) जल सम्भरण की योजनाएं बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना ;

(२) जहां साध्य हो, वहां सीवर-व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन ;

(३) अपने कार्य-कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके ;

(४) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो ;

(५) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे।

२५—जल संस्थान की शक्तियां—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(२) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :

(१) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल-सम्भरण, सीवर-व्यवस्था और सीवेज सम्बन्धी निस्तारण से सम्बन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना ;

(२) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर अधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राज मार्ग, सड़क, मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर-पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति-युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्य करना ;

(३) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना ;

(४) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे ;

(५) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना ;

(६) निगम के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिए ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किए जायें ;

[1][प्रतिबन्ध यह है कि टैरिफ लगाने या उसमें संशोधन करने का विनिश्चय नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी नोटिस, जो विहित की जाय,

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा बढ़ाया गया।

देने के पश्चात् लाये गये विशेष प्रस्ताव को जल-संस्थान की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई के बहुमत से पारित न कर दिया हो ।]

(७) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना ;

(८) निगम से ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना ।

२६—शक्तियों का प्रतिनिधान—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई जल संस्थान सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या महाप्रबन्धक को अथवा जल संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो धारा ४४ और ५० के अधीन शक्तियां तथा कर्तव्य न हों ; प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे ।

[1][२७—पदों का सृजन और कर्मचारियों की नियुक्ति—(१) जल संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे पदों का और ऐसे पदनामों के साथ सृजन कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण संपादन के लिए आवश्यक समझे ।

(२) उपधारा) (१) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति जल संस्थान द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों पर जिसे राज्य सरकार धारा २७-क के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति और ऐसे पदों पर नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों का अवधारण सरकार के अनुमोदन से किया जायगा ।

(३) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुऐ, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण महाप्रबन्धक में निहित होगा ।]

[1][२७-क—सेवाओं का केन्द्रीयकरण—(१) धारा २७ या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों को जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य में जल संस्थान या जल संस्थानों, नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के लिये सामान्य हों, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है ।

(२) जहां ऐसी किसी सेवा का सृजन किया जाय, वहां सेवा में सम्मिलित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और उन पदों के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने वाले अधिकारियों और सेवकों को, यदि उपयुक्त पाये जायं, अनन्तिम या अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित किया जा सकता है, और अन्य की सेवायें विहित रीति से समाप्त की जायंगी ।

(३) ऐसी सेवा के सृजन पर स्थानीय निकाय निदेशक के लिये या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये किसी जल संस्थान या जलकल में किसी पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी को किसी अन्य जल संस्थान या जलकल को स्थानान्तरित करना विधि पूर्ण होगा ।

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा मूल अधिनियम की धारा २७ प्रतिस्थापित [illegible]

(४) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिये भी व्यवस्था की जा सकती है।].

२८—जल संस्थान के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण—(१) जल संस्थान की सभी कार्यवाहियां जल संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी, और जल संस्थान के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें जल संस्थान के महाप्रबन्धक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी।

(२) जल संस्थान किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति जल संस्थान की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

२९—अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे—जल संस्थान या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल—

(क) जल संस्थान या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमित्ता होने,

के कारण अविधिमान्य न होगी।

३०—उपभोक्ताओं से विवाद—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान तथा उपभोक्ता के बीच उद्भूत होने वाला कोई विवाद निगम को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय ४

सम्पत्तियों-आस्तियों, दायित्वों व आभार का निहित किया जाना और कर्मचारियों का अन्तरण

३१—निगम में सम्पत्ति का निहित होना तथा अन्तरण—(१) निगम की स्थापना के दिनांक, अर्थात् १८ जून, १९७५ से, जिसे इस अध्याय में आगे नियत दिनांक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है—

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत 'जल-कल' भवन, प्रयोगशाला, भण्डार, गाड़ी, फरनीचर, और अन्य साज-सामान सम्मिलित है) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार में नियत दिनांक के ठीक पूर्व निहित थी वह सब निगम में निहित और उसको अन्तरित हो जायगी,

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार राज्य सरकार के [illegible] से सम्बन्धित थे, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे उस निगम के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे।

(२) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार निर्धारित करे।

(३) जो वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार के द्वारा या विरुद्ध संस्थित या प्रतिवादित की गई हैं या उपधारा (१) के अधीन निहित और अन्तरित न होने पर की गई होतीं, वे निगम के द्वारा या विरुद्ध जारी, संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं।

३२—सम्पत्ति के निहित होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होना—जहां कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति या आस्ति निगम में धारा ३१ के अधीन निहित हुई है या कोई अधिकार, दायित्व या आभार उक्त धारा के अधीन निगम का अधिकार, दायित्व और आभार हो गई है वहां ऐसे सन्देह या विवाद को राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

३३—वर्तमान जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का जल संस्थान में निहित होना—(१) जहां कहीं भी धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई जल संस्थान गठित किया जाय वहां—

(क) समस्त वर्तमान जल सम्भरण सेवायें और जहां जल संस्थान धारा २४ के खण्ड (२) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को अपने हाथ में ले, वहां वर्तमान समस्त सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवायें, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, सभी संयन्त्र, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग स्टेशन, छानने की टंकियां, जल प्रणाड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके किनारे, ऊपर या नीचे सार्वजनिक सीवर तथा ऐसे सभी भवन, भूमि और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भण्डार और उनसे सम्बन्धित वस्तुयें जो जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय निकाय की हों या उसमें निहित हों;

(ख) उक्त जल प्रणाड तथा सीवरों से संलग्न उतनी अवभूमि जो किसी ऐसे जल प्रणाड तथा सीवरों या किन्हीं पाइपों तथा ऐसे अन्य उपकरणों और फिटिंग्स, जो ऐसे जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं और कार्यों तथा सीवेज फार्मों से सम्बन्धित हो, को बढ़ाने, गहरा करने या अन्य प्रकार से उनकी मरम्मत या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो; और

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित वस्तुओं से सम्बन्धित ऐसे स्थानीय निकाय के समस्त अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं जिनके अन्तर्गत जल-कर तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर के, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, और जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिव्यय या फीस के, बकाया की वसूली का अधिकार भी है और इसके अन्तर्गत खण्ड (क) या (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित अथवा उपयोजित ऋण से भिन्न उपर्युक्त किसी बात के लिये सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थानीय निकाय को दिये गये किसी ऋण से होने वाले दायित्व भी हैं;

सत्य प्रतिलिपि

जल संस्थान के गठित होने के दिनांक से (जिसे आगे इस अध्याय में "उक्त दिनांक" कहा गया है) उसमें निहित होंगे और उसे अन्तरित हो जायेंगे और उसके नियंत्रणाधीन होंगे।

(२) ऐसी सम्पत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व और आभार का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार अवधारित करे।

(३) जहां इस सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद उठे कि कोई सम्पत्ति या आस्तियां उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान में निहित हो गई हैं या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यताएं इस धारा के अधीन जल संस्थान के अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें हो गई हैं, या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और सम्बद्ध जल संस्थान तथा स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

३४—जल संस्थान उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर यह अध्यादेश प्रयोज्य हो, स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यतायें ग्रहण करेगा—धारा २४ में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण तथा बाध्यताएं, की गई समस्त संविदायें और किये जाने के लिए वचनबद्ध समस्त विषय तथा बातें जल संस्थान द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत किये गये या किये जाने के लिये वचनबद्ध समझी जायेंगी, और ऐसे समी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित हों या जो यदि धारा ३३ की उपधारा (१) के अधीन निहित और अन्तरित न होतीं तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या प्रतिवादित की जा सकतीं, जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अथवा संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं।

३५—जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकायों के कार्यकलापों का समन्वय—यदि राज्य सरकार की राय हो कि यह लोक-हित में है कि किसी जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय को जिनकी ऐसे क्षेत्रों पर एक दूसरे से लगे हुए हों, अधिकारिता हो, जल सम्भरण सेवाओं या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों के सम्बन्ध में अपने कार्य-कलापों का समन्वय करना चाहिए तो वह ऐसे जल संस्थान और सम्बद्ध स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और उक्त जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश का अनुपालन करे।

३६—पुनः उधार देने की संक्रिया के सम्बन्ध में निगम की विशेष शक्तियाँ—जहां धारा ४६ के अधीन किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय और निगम के बीच किसी करार से ऐसी व्यवस्था हो तो निगम को धारा ४९ के अधीन अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जल-कर के, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर के और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिव्यय या फीस के, बकाया के जो जल संस्थान या स्थानीय निकाय को देय हों, सीधे वसूल करने की भी शक्ति होगी जिससे कि निगम अपने देयों को वसूल करे।

३७—कर्मचारियों का निगम को स्थानान्तरण—(१) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में सेवायोजित हो, नियत दिनांक को तथा से निगम का कर्मचारी हो जायगा और उसमें उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह नियत दिनांक को उसे धारण करता यदि यह अधिनियम

प्रवृत्त न हुआ होता, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन निगम से समाप्त न कर दिया जाए अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियमित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा निगम का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह राज्य सरकार से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

(१) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(२) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक,

के बराबर होगा ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि, राज्य सरकार द्वारा नियत दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित निगम को अन्तरित कर दी जायेगी और राज्य सरकार को छोड़कर, निगम ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश धनराशियों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार समनुरूप समय पर, उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(३) संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन निगम में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(४) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनांक से निगम के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, निगम का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा ।

(५) उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी नियत दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच राज्य सरकार की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु राज्य सरकार उक्त अवधि के लिये ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रति कर की निगम से प्रतिपूर्ति की भी हकदार होगी ।

(६) छंटनी या पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स, जैसे कि वे राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति के नियन्त्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू हैं, के पैरा ४२६ या पैरा ४३६ की कोई बात सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होंगे ।

(७) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में नियत दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा—समाप्ति या अनिवार्य सेवा—निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होंगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें।

(ख) राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (१) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को जिसे वह उचित समझे ऐसे कर्मचारी के जब वह राज्य सरकार की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए, सक्षम होगा।

३८—कर्मचारियों का जल संस्थान को स्थानान्तरण—(१) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, (जिसके अन्तर्गत [1][इस अधिनियम की धारा २७-क] यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-ख और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क के अधीन सृजित सेवा का कोई सदस्य नहीं है) जो स्थानीय क्षेत्रों के जिसके लिए कोई जल संस्थान गठित किया गया हो किसी स्थानीय निकाय के अधीन अनन्य रूप से जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों अथवा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में सेवायोजित हो, उक्त दिनांक को तथा से जल संस्थान का कर्मचारी हो जायगा और वह उसमें उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेन्शन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को उसे धारण करता, यदि उपर्युक्त जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जल संस्थान को अन्तरित और उसमें निहित न किये गये होते, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन जल संस्थान से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे करार के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियन्त्रित होती हों, जल संस्थान द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा जल संस्थान का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि स्थानीय निकाय के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह उक्त स्थानीय निकाय से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

---

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा बढ़ाया गया।

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक,

के बराबर होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार (express agreement) के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० में यथापरिभाषित किसी कर्मकार से भिन्न हो और जो जल संस्थान का कर्मचारी हो जाय, किसी ऐसे अधिष्ठान या उपक्रम से जिसमें वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था, जल संस्थान के किसी अन्य अधिष्ठान या उपक्रम में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियन्त्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उक्त दिनांक के पूर्व कोई व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय के अधीन उपर्युक्त जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में अन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

(४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये गठित किसी पेन्शन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा उक्त दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित जल संस्थान को अन्तरित कर दी जायगी और स्थानीय निकाय को छोड़कर, जल संस्थान ऐसे कर्मचारियों को पेन्शन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश देयों का, जो उनको सेवा की शर्तों के अनुसार समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हों, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(६) किसी स्थानीय निकाय का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान का कर्मचारी होने पर उक्त दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त दिनांक से जल संस्थान के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, जल संस्थान का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(७) उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी उक्त दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच सम्बद्ध स्थानीय निकाय की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु स्थानीय निकाय उक्त अवधि के लिये ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर का जल संस्थान से प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा।

(८) सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स, जैसा कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पेरा ४२६ या पेरा ४३६ अथवा पदों की छटनी या उनको समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों की कोई बात, सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।

(९) [1][इस अधिनियम की धारा २७-क] यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-बी, तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क या उक्त धाराओं के अधीन बनाये गये नियमों में केन्द्रीयित सेवाओं के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुये भी, केन्द्रीयित सेवा का प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त धाराओं और नियमों में निदिष्ट हो, [2][ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि स्थानीय निकाय, निदेशक, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवायें प्रदान या स्थानान्तरित की जायें, सेवा करने के लिये आबद्ध होगा], और ऐसा कोई कर्मचारी केवल ऐसी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई प्रतिनियुक्ति या अन्य भत्ता पाने का हकदार न होगा, तथा तद्धीन रहते हुए वह उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर केन्द्रीयित सेवा का सदस्य बना रहेगा जिस पर कि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के पहले था।

(१०) [illegible] उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी—

(क) [illegible] व्यक्ति की सेवायें, जो किसी स्थानीय निकाय के अधीन नियत दिनांक के पूर्व सेवायोजित थी, या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, जल संस्थान को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी की सेवायें उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान को अन्तरित हो जाती है तो जल संस्थान ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को, जिसे वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी के जब वह स्थानीय निकाय की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए, सक्षम होगा।

अध्याय ५

सम्पत्ति, संविदा, वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

३९—**संविदा (Contract) आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण**—निगम या जल संस्थान की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा।

४०—**निगम की निधि**—(१) निगम की अपनी निधि होगी जो निगम निधि कहलायेगी और स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त धनराशियों से भिन्न सभी प्राप्त धनराशियां जमा की जायेंगी।

(२) निगम की एक और निधि भी होगी जो ऋण निधि कहलायेगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायेगी और इसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

---

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा बढ़ाया गया।

२. उपरोक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अन्य निधियां गठित कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक हों।

४१—जल संस्थान की निधि—प्रत्येक जल संस्थान की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायेगी और जिसमें जल संस्थान द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

४२—जल निगम के वित्त के लिये सामान्य सिद्धान्त—निगम, यथाव्यवहार्य और धारा ४३ के अधीन राज्य सरकार से किसी अनुदान या वित्तीय सहायता के लिये कोई उधार लेने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपना कार्य संचालन हानि पर नहीं करेगा।

४३—निगम तथा जल संस्थान को अनुदान तथा वित्तीय सहायता—(१) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के यथोचित विधीय विनियोजन के पश्चात्, समय-समय पर, निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान तथा वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है।

(२) राज्य सरकार जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय निकाय या जल संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान निगम के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

४४—जल संस्थान के वित्त के लिए सामान्य सिद्धान्त—जल संस्थान इस अधिनियम के अधीन अपने कर और प्रभार की दरें समय-समय पर, इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित करेगा जिससे कि वह अपने कार्य संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथासाध्य, पूरा कर सके और जहां व्यवहार्य हो, अपनी स्थिर आस्तियों पर लाभ प्राप्त कर सके।

४५—निगम को ऋण—राज्य सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन पर राज्य सरकार और निगम सहमत हों, ऋण दे सकती है।

४६—जल निगम की उधार लेने और पुनः उधार देने की शक्ति—(१) निगम तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (५) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अपनी स्थापना के दिनांक से एकमात्र ऐसा स्थानीय प्राधिकारी होगा जो जल-सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार लेने के लिये प्राधिकृत है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थानीय निकाय जिसको ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो जल संस्थान की अधिकारिता में सम्मिलित न हो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, जो ऐसा अनुमोदन देने के पूर्व निगम से परामर्श करेगी, ऐसी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार ले सकता है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध-पत्र या निधि-पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से अथवा ऐसे बैंकरों या अन्य निकायों या संस्थाओं से जो इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, ठहराव करके उधार ले सकता है।

(३) निगम द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया जाने वाला ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा, उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायेगी तथा उसे ऐसी रीति से मोचित किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(४) निगम ऐसी उधार ली गई धनराशि का कोई भाग किसी स्थानीय निकाय को जल-सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित कृत्यों के सम्पादन के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें निगम अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

(५) यदि निगम ने किसी जल संस्थान या किसी स्थानीय निकाय को जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये ऋण देने के लिये कोई धनराशि उधार ली हो तो निगम ऐसा ऋण उक्त जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निबन्धनों तथा ब्याज की दरों पर, उतनी धनराशि में उसके प्रतिदान की ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, अन्तरित करेगा जिन पर निगम और जल संस्थान या स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की दक्ष प्रोन्नति, उनके निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण के लिए करार द्वारा व्यवस्था करें।

४७—अवक्षयण संचिति (Depreciation reserve)—निगम तथा प्रत्येक जल संस्थान एक अवक्षयण संचिति सृजित करेगा और उसके लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें, वार्षिक व्यवस्था करेगा।

४८—प्रत्याभूतिदाता (Guarantor) के रूप में सरकार—राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये निगम को दिये गये या अन्तरित किये गये किसी ऋण के प्रतिदान तथा सभी ऋणों पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति कर सकेगी।

४९—निगम द्वारा सौंपे प्रबन्ध—(१) जहां कोई जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो किसी करार के अधीन निगम के प्रतिदायी हो, किसी ऋण या अग्रिम अथवा उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में व्यतिक्रम करे या अन्यथा निगम के साथ किये गये करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहे तो निगम राज्य सरकार से इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निगम से अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि निगम, जल संस्थान या स्थानीय निकाय की यथास्थिति, जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का प्रबन्ध ले लेगा, और उसके देयों को ऐसे प्रबन्ध-तन्त्र के माध्यम से वसूल करेगा, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश की कार्यान्वयन अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है जिससे कि इस प्रकार बढ़ायी गयी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

[1][(२-क) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी जल-संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल-सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का कुप्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुँचायी है तो वह, जल-संस्थान या

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा बढ़ायी गयी।

स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उस जल-संस्थान या स्थानीय निकाय की, जल-सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का अन्तरण सीधे निगम को कर सकती है, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश के कार्यान्वयन की अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी वृद्धि की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।]

(३) यदि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध निगम द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो अथवा कोई देय धनराशियाँ [1][उपधारा (२) या उपधारा (२-क) के उपबन्धों] के अधीन उसके द्वारा वसूल कर ली गई हों, तो इस प्रकार प्रबन्ध तथा वसूली के सम्बन्ध में उसके द्वारा उचित रूप से किये गये सभी खर्च, परिव्यय तथा अन्य जल संस्थान या स्थानीय निकाय से वसूल किये जा सकेंगे और ऐसी धनराशि, जो उसने उक्त प्रबन्ध तथा वसूली से प्राप्त की हो, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उसके द्वारा न्यास में रखी जायगी जिसका उपयोजन प्रथमतः उक्त खर्च, परिव्यय तथा व्यय का भुगतान करने में और द्वितीयतः निगम को देय ऋण चुकाने में किया जायगा और इस प्रकार प्राप्त धनराशि का अवशिष्ट ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को दिया जायगा जो उसे पाने का हकदार हो।

(४) जहां [1][उपधारा (२) या उपधारा (२-क) के अधीन] कोई आदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय और, यथास्थिति, जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों में लगे हुए उसके कर्मचारी ऐसे आदेश का तत्काल अनुपालन करेंगे, और निगम के अनुरोध पर जिला कलेक्टर ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति या आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या दस्तावेज निगम को दिलाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्टतः ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

५०--लेखे और लेखा-परीक्षा--(१) निगम और जल संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण-पत्र तथा/अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेंगे तथा उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकते हैं और उन्हें निगम की दशा में राज्य सरकार को और जल संस्थान की दशा में निगम को ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे दिनांक तक जैसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पूर्वानुमोदन के, ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसके सम्बन्ध में उक्त वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त न होने की दशा में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान सभी लेखों में उतनी धनराशि तक को जो पूर्व वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिये अनुमोदित धनराशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी धनराशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान तथा वित्तीय सहायता में से व्यय की गई कोई धनराशि सम्मिलित न होगी।

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(२) निगम तथा जल संस्थान ऐसी उचित लेखा-बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बहियां रखवायेंगे और पक्का चिट्ठा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विनियमों द्वारा अपेक्षित हो, तैयार करायेंगे।

(३) निगम और जल संस्थान के लेखों की लेखा परीक्षा, ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाय।

(४) निगम और जल संस्थान के वे लेखे जो लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित हों और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष क्रमशः राज्य सरकार और निगम को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, और निगम या जल संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(५) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (४) के अधीन उसे प्राप्त निगम के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी; और

(ख) निगम के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जो वह उचित समझे।

५१—अधिभार (Surcharge)—(१) यथास्थिति, निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी निगम या जल संस्थान को किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।

(३) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(४) निगम या जल संस्थान को, उपधारा (३) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को पारिश्रमिक के मद्धे या अन्य प्रकार से निगम या जल संस्थान द्वारा देय किसी धनराशि में से, कटौती करने से निषिद्ध न करेगी।

अध्याय ६

कर, फीस तथा परिव्यय (Taxes, Fees and Charges)

५२—उद्ग्रहणीय कर (Taxes leviable)—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित भू-गृहादि पर,—

(क) जहां क्षेत्र जल संस्थान की जल सम्भरण सेवा के अन्तर्गत आता हो, जल कर, और

(ख) जहां क्षेत्र जल संस्थान की सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत आता हो, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर,

उद्ग्रहीत करेगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित कर ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे, जो भू-गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में छः प्रतिशत से कम और चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में दो प्रतिशत से कम तथा चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

५३—वार्षिक मूल का निर्धारण—(१) धारा ५२ के प्रयोजनार्थ, "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य—

(क) रेलवे स्टेशन, शिक्षा संस्था (जिसके अन्तर्गत उनके छात्रावास तथा हाल भी हैं), कारखाना (जैसा कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में परिभाषित है) और वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में परिभाषित है) की दशा में, भू-गृहादि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत,

(ख) किसी अन्य भू-गृहादि की दशा में, ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर ऐसा भू-गृहादि वास्तव में किराये पर दिया गया हो अथवा यदि भू-गृहादि किराये पर न दिया गया हो तो ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर भू-गृहादि को युक्तियुक्ततः किराये पर दिये जाने की आशा हो,

से है :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित भू-गृहादि की दशा में वार्षिक मूल्य इस धारा के अधीन अन्यथा अवधारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम समझा जायेगा।

(२) धारा ५२ में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और ऐसा प्राधिकारी या तो स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(३) यदि निर्धारण जल संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाय तो जल संस्थान या ऐसा अन्य अभिकरण विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(४) जब तक किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित न किया जाय, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र में समस्त भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जैसा कि वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा गृह-कर के प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा।

(५) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो वह धारा ५४ के अधीन की गई अपील पर उसमें किये गये किसी फेरफार के अधीन रहते हुये, किसी ऐसी विधि में, जिसमें सम्बन्धित स्थानीय निकाय का गठन हुआ हो, किसी बात के होते हुये भी, उस स्थानीय निकाय द्वारा उद्गृहीत गृह-कर के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा।

५४—कर निर्धारण के विरुद्ध अपील—(१) कोई व्यक्ति जो धारा ५३ की उपधारा (२) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा दिये गये कर-निर्धारण के आदेश से क्षुब्ध हो, विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो विहित प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

(३) विहित प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपीलाधीन आदेश को या की पुष्टि कर सकता है, या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है।

(४) उपधारा (३) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम और सम्बद्ध पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

५५—करों के उद्ग्रहण पर निर्बन्धन (Restriction on levy of taxes)—धारा ५२ में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :

(क) वे किसी ऐसी भूमि पर, जो केवल कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाती हो, उद्ग्रहीत नहीं किये जायेंगे जब तक कि जल-संस्थान द्वारा उस भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरित न किया जाय;

(ख) जल-कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा—

[1][(१) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल कल से, जहां पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, विहित अर्द्ध-व्यास के भीतर न हो; या

(२) जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई जल सम्भरित न किया जाता हो।]

(ग) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर किसी ऐसे भु-गृहादि पर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।

(१) जिसका कोई भाग जल संस्थान के निकटतम सीवर के एक सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो; या

(२) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो।

५६—कर का भुगतान करने का दायित्व—[2][(१)] धारा ५२ में उल्लिखित कर—

(क) यथास्थिति, जल संस्थान के जल सम्भरण या सीवर से सम्बद्ध भू-गृहादि की दशा में, भू-गृहादि के अध्यासी से,

(ख) ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो इस प्रकार सम्बद्ध न हो, भू-गृहादि के स्वामी से; वसूल किया जा सकेगा।

[2][प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, जहां ऐसा भू-गृहादि एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर दिया जाय या किसी अन्य पर्याप्त कारण से अध्यासी से कर की वसूली समीचीन न पाई जाय, वहां जल संस्थान, अपने विकल्प पर कर का उद्ग्रहण अध्यासी से करने के बजाय स्वामी से कर सकती है।

(२) ऐसा कोई स्वामी जिससे उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाय, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, उसे अध्यासी से वसूल कर सकता है।]

---

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या १० सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

२. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ५६ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया तत्पश्चात् प्रतिबन्धात्मक खण्ड एवं उपधारा (२) बढ़ायी गयी।

५७—करों का समेकन (Consolidation of taxes)—धारा ५२ में उल्लिखित दोनों करों के उद्ग्रहण, निर्धारण या संग्रहण के प्रयोजनार्थ, जल संस्थान दोनों करों को समेकित (Consolidate) कर सकता है।

५८—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ के कतिपय उपबन्धों का लागू होना—धारा ५२ में उल्लिखित करों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७८, २१४, २१५, २२२, २२३ और २२६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम की धारा १७३ में वर्णित सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में लागू होते हैं, और उक्त उपबन्धों में महापालिका और मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों वे क्रमशः जल संस्थान और उसके ऐसे अधिकारी के जिसे तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रति निर्देश हों।

५९—जल-परिव्यय (Cost of water)—(१) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, अपने द्वारा सम्भरित जल का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार, और प्रत्येक संयोजन के सम्बन्ध में किया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी, निश्चित करेगा।

(२) जल संस्थान, परिमाण के अनुसार जल-परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, उक्त अवधि में जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर, एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

६०—उच्छिष्ट जल (Waste water) के निस्तारण का परिव्यय—(१) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार (जो उपभोक्ता को सम्भरित कुल जल के परिमाण का उतना प्रतिशत होगा जो विहित किया जाय), और ऐसे निस्तारण के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

(२) जल संस्थान, उपधारा (१) में वर्णित आधार के अनुसार उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, उक्त अवधि में उच्छिष्ट जल के प्रत्याशित निस्तारण के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

६१—मीटर का किराया—जल संस्थान मीटर के लिये ऐसा किराया, जैसी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जाय, ले सकता है।

६२—प्रतिभूति (Security)—जल संस्थान उपभोक्ता से मीटर का सम्भरण किये जाने के सम्बन्ध में अथवा सीवर से संयोजित करने के लिये प्रतिभूति स्वरूप ऐसी धनराशि जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, की मांग कर सकता है, परन्तु जल संस्थान इस प्रकार जमा की गई किसी धनराशि पर उतनी दर से, जिसे निगम समय-समय पर अवधारित करे, ब्याज देगा।

६३—फीस—जल संस्थान किसी जल सम्भरण या सीवर के संयोजन, संयोजन को काटने, उसे पुनः संयोजित करने अथवा जांच या पर्यवेक्षण अथवा की गई किसी अन्य सेवा या निष्पादित अथवा पर्यवेक्षित कार्य के लिये ऐसी फीस जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, ले सकता है।

६४—देय करों तथा अन्य धनराशि की वसूली—(१) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान को कर, फीस, जल-परिव्यय उच्छिष्ट जल-निस्तारण-परिव्यय, मीटर का किराया, शास्ति, क्षतिपूर्ति या अधिभार के मद्धे देय कोई धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(२) उपधारा (१) की कोई बात, उपभोक्ता द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट देयों का भुगतान न करने की दशा में, जल संस्थान को उपविधियों के अनुसार जल सम्भरण संयोजन काटने की जल संस्थान की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय ७

जल-सम्भरण (Water supply)

६५—घरेलू प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण की परिभाषा—इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण का तात्पर्य, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिये सम्भरण से है, अर्थात् :

(क) व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिये ;

(ख) उद्यान या सिंचाई के प्रयोजनार्थ ;

(ग) भवन निर्माण के लिये, जिसके अन्तर्गत मार्गों का निर्माण भी है ;

(घ) फव्वारे, तैरने का बड़ा होज, सार्वजनिक स्नान गृह या टंकियों के लिये या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये ;

... के लिये, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये अथवा उनके उत्पाद की बिक्री के लिये रखे जाते हों ;

(च) किसी जलपान-गृह में या किसी होटल, बोर्डिंग हाउस या नैवासिक क्लब (...ential club) के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिये ;

... तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग तथा प्रयोग के लिये ;

(ज) मार्गों पर छिड़काव के लिये ; या

(झ) गाड़ियों को, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये रखी जाती हों, धोने के लिये ।

६६—जल संस्थान द्वारा जल सम्भरण—(१) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के स्वामी या ... द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर निम्नलिखित दशा में घरेलू प्रयोजनों के लिये सम्भरण करने की स्वीकृति देगा—

(क) यदि ऐसा भू-गृहादि वर्तमान प्रनाड (main) से तीस मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो ; या

(ख) यदि प्रार्थी ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो, भू-गृहादि को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के तीस मीटर की दूरी से आगे किसी विस्तार के आवश्यक व्यय को वहन करने के लिये तैयार हो ।

स्पष्टीकरण—जल संस्थान तीस मीटर से अनधिक, केवल ऐसी दूरी तक के विस्तार का वहन करेगा जो भू-गृहादि की वाह्य सीमा को निकटतम वर्तमान प्रनाड (main) से ... करने के लिये पर्याप्त हो ।

(२) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जल सम्भरित किया जाय उपधारा (१) के खण्ड (ख) में किसी विस्तार का व्यय वहन करने पर भी, विस्तार में स्वत्व जल संस्थान में होगा ।

(३) जल संस्थान तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर घरेलू प्रयोजनों से भिन्न किसी ...न के लिये जल सम्भरण की स्वीकृति दे सकता है ।

(४) घरेलू या अन्य प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन ... जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय ।

(५) उपधारा (४) में निर्दिष्ट उप-विधियों में किसी बात के होते हुये भी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य [illegible]नियत निगम अथवा किसी शिक्षा संस्था संस्थान भुगतान और अवधि के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर उसी सम्भरण सम्बन्धी पर जल सम्भरण कर सकता है जिन पर परस्पर सहमति हो।

६७—घरेलू प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण का प्रयोग गैर घरेलू प्रयोजनों के किया जायगा—कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अधीन जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय, घरेलू प्रयोजनों के लिये सम्भरित जल किसी अन्य प्रयोजन के लिये न तो करेगा और न करने देगा।

६८—दमकल नल की व्यवस्था—(१) जल संस्थान किसी कारखाने (जैसा कि खाना अधिनियम, १९४८ में परिभाषित है) अथवा किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठा कि वह उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में परिभाषि स्वामी या अध्यासी के अनुरोध और उसके व्यय पर सभी आनुषंगिक कार्यों सहित द की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण ऐसे कारखाने, दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में अ की दशा में जल सम्भरण के लिये करेगा और किसी ऐसी दशा में ऐसे स्वामी या अ उपर्युक्त के सम्बन्ध में सम्भरित जल का परिव्यय वसूल करेगा।

(२) जल संस्थान सभी ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, अ की दशा में जल सम्भरण के लिये सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस् उनका अनुरक्षण करेगा और उपर्युक्त के सम्बन्ध में जल सम्भरित करेगा।

६९—जल मीटर की व्यवस्था करने की शक्ति—(१) जल संस्थान जल मी व्यवस्था कर सकता है और उसे भू-गृहादि में जल संस्थान के जल कल से संयोजित सेव में लगा सकता है।

(२) मीटर लगाने का व्यय और उसके प्रयोग के लिये देय किराया उपभोक्ता द्वार जायेगा।

(३) मीटरों की व्यवस्था अथवा उनके संयोजनों का अन्तरण और उनका प्रयोग, व तथा परीक्षण और उसे लगाने का व्यय तथा उनका किराया और तत्सम्बन्धी किसी प्र यदि कोई हो, का दिया जाना, तदर्थ बनाई गई उप-विधियों द्वारा विनियमित होगा।

७०—लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री—(१) जल संस्थान द्वारा लाइसेन्स-प्राप्त नल (जिसे आगे लाइसेन्स प्राप्त नल मिस्त्री कहा गया है), से भिन्न कोई व्यक्ति जल संयोजन के में ऐसा कोई निर्माण-कार्य जो मामूली कार्य न हो, नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति लाइसेन नल मिस्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निर्माण-कार्य करने की अनुज्ञा न देगा।

(२) जब उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई निर्माण-कार्य किया ज ऐसा निर्माण-कार्य जल संस्थान को स्वेच्छा से विघटित कर दिया जा सकेगा।

७१—जल के अपव्यय पर प्रतिषेध—(१) ऐसे भू गृहादि का जिसे जल संस्थान द्वार सम्भरित किया जाय, स्वामी या अध्यासी जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अ करेगा, और न ही उससे सम्बद्ध किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो।

(२) जब कभी जल संस्थान को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सेवा पाइप टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का व्यय हो रहा है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(३) यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो जल संस्थान इस नियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकता है, और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा।

७२—जल सम्भरण काट देने की शक्ति—(१) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के जल सम्भरण को काट सकता है—

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिल दिये जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न किया जाय; अथवा

(ख) यदि जल संस्थान से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो, उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या उप-विधि के उपबन्धों का उल्लंघन करके जल का प्रयोग करना जारी रखता है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दिये रहता है; अथवा

(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या किसी संयोजक पाइप अथवा जोड़ चूड़ी को क्षति पहुँचाता है या ऐसी क्षति पहुँचने देता है, अथवा

(घ) यदि उपभोक्ता जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे भू-गृहादि में प्रवेश नहीं करने देता है जहां जल सम्भरण के सम्बन्ध में वह कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना चाहता हो, अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक को कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है; अथवा

(ङ) यदि जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाय कि सेवा पाइप या कोई टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है जिससे जल का अपव्यय या उसका अपदूषण होता है और उसको तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है; अथवा

(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी या उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये, उसे हटाये, उसकी मरम्मत कराये या अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करे अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दे; अथवा

(छ) यदि सेवा पाइप या टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण-कार्य में स्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुँचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक हो।

[1][(ज) यदि उपभोक्ता जल संस्थान को अपने जल संयोजन में मीटर लगाने की अनुमति नहीं देता है या मीटर देने के लिये प्रतिभूति जमा करने से इन्कार करता है ।]

(२) इस धारा के अधीन या इसके अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी ऐसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त न होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो ।

(३) जल संस्थान उपधारा (१) के अधीन काटे गये जल सम्भरण को ऐसे परिव्ययों का भुगतान करने और ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, फिर से जोड़ सकता है ।

७३– कतिपय कार्यों का प्रतिषेध –(१) कोई व्यक्ति—

(क) निगम या किसी जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझकर न तो किसी निर्माण-कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक निगम या किसी जल संस्थान के किसी ताले, टोंटी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या साधित्र को न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुँचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम या किसी जल संस्थान के किसी जल कल से प्रवाहित जल या ऐसा जल सम्भरित करने वाले जल मार्ग के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे जल बहायेगा, न निकालेगा न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल लेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या किसी जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तदधीन किसी जल-कल के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधन देने से इन्कार करेगा और न उसे प्रस्तुत करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा; अथवा

(ङ) किसी जल कल के भीतर, उसपर, या उसके ऊपर न तो नहायेगा, न धुलाई करेगा, न उसमें किसी पशु को फेंकेगा और न उसमें किसी पशु को प्रवेश करायेगा अथवा किसी जल कल में न तो कोई कचरा, धूल या गलीज फेंकेगा, और न उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल की धुलाई या सफाई करेगा अथवा किसी होदी या नाली या किसी वाष्प इन्जन या ब्वायलर का पानी अथवा किसी अन्य दूषित जल को किसी जल कल की ओर न तो ले जाने देगा और न उसमें मिलाने देगा और न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जिससे किसी भी जल कल का पानी दूषित हो जाय अथवा उसके दूषित होने की सम्भावना हो ।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (ख) की कोई बात किसी ऐसे उपभोक्ता के सम्बन्ध में जो अपने भू-गृहादि को जल सम्भरित करने वाले सेवा पाइप पर लगाई गई रोक टोंटी को बन्द करता हो, तब लागू न होगी यदि उसने किसी ऐसे उपभोक्ता की, जिसके जल सम्भरण पर टोंटी बन्द करने का प्रभाव पड़ता हो, सहमति प्राप्त कर ली हो ।

१. उ० प्र० अधिनियम संख्या ५ सन् १९८४ द्वारा उपधारा (ज) बढ़ायी गयी ।

अध्याय ८

सीवर व्यवस्था (Sewage)

७४—सीवर से संयोजित करने का स्वामी या अध्यासी का अधिकार- किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी, भू-गृहादि के सीवेज को जल संस्थान के सीवर में गिराने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा करने के पूर्व, वह—

(क) जल संस्थान की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और उपविधियों के अनुसार संयोजन फीस का भुगतान कर दे; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों का जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, अनुपालन करे।

७५—स्वामी से सीवर संयोजन लेने की अपेक्षा करने की शक्ति—यदि जल संस्थान की राय में किसी भू गृहादि में सीवेज के प्रभावकारी निस्तारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं है और जल संस्थान का सीवर भू-गृहादि के किसी भाग से पचास मीटर की दूरी पर स्थित है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू-गृहादि के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सीवर संयोजन करा लें।

७६—सीवर से संयोजित करने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति, जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना, जल संस्थान के किसी सीवर से कोई संयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

७७—सीवर के ऊपर भवन निर्माण करने का प्रतिषेध—(१) कोई व्यक्ति जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना जल संस्थान के किसी सीवर के ऊपर कोई असार्वजनिक मार्ग, भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(२) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३२७ और ३३३ के उपबन्ध, उपधारा (१) के उल्लंघन में किसी निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देश के लिये, जल संस्थान के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करें, प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हों।

७८—सीवर या मल कूप के संवातन के लिये नाल (शाफ्ट) आदि लगाने की शक्ति (Power to affix shaft, etc for ventilation of sewer or cesspool)—जल संस्थान किसी सीवर या मल कूप के लिये, चाहे वह जल संस्थान में निहित हो या नहीं, संवातन के प्रयोजनार्थ, कोई नाल या पाइप, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, किसी भू-गृहादि पर खड़ा कर सकता है अथवा किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है।

७९—दोषयुक्त प्रतीत होने वाले सीवर आदि की परीक्षा तथा जांच करने की शक्ति --(१) यदि जल संस्थान को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने का युक्ति-युक्त आधार है कि कोई असार्वजनिक या सीवर मल कूप ऐसी दशा में है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या जो अपदूषण है अथवा जल संस्थान के सीवर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचार करने वाला कोई असार्वजनिक सीवर इतना दोषपूर्ण है जिससे कि उसमें अवभूमि-जल या कंकड़ या अन्य पदार्थ आते हों तो वह उनकी दशा के बारे में परीक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी जांच कर सकता है, जो दबावयुक्त जल द्वारा की जाने वाली जांच न हो, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो भूमि को खोद सकता है।

(२) (क) यदि परीक्षा करने पर सीवर या मल कूप उचित स्थिति में पाया जाय तो जल संस्थान, यथासम्भवशीघ्र, भूमि को, जो उसके द्वारा खोदी गई हो, पूर्व स्थिति में लायेगा और अपने द्वारा हुई क्षति के लिये प्रतिकर का अवधारण और उसका भुगतान करेगा।

(२) यदि इसके विपरीत, इस प्रकार परीक्षित सीवर या मलकूप दोषपूर्ण पाया जाय तो, जल संस्थान शीघ्र ही उसका काम करना रोक सकता है या उसे जल संस्थान के सीवर से वियोजित कर सकता है या स्वामी अथवा अध्यासी से ऐसी प्रतिकारी कार्यवाही, जैसी कि जल संस्थान द्वारा निर्देशित की जाय ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है और किसी ऐसी दशा में जल संस्थान अपने द्वारा किया गया व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

(३) यदि इस प्रकार अवधारित धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जल संस्थान विवाद को निगम को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

८०—कतिपय कार्यों का प्रतिषेध (Prohibition of certain acts)—कोई व्यक्ति—

(क) इस अध्याय के अधीन जल निगम या जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले, वाल्व, पाइप या अन्य कार्य या साधित्र को, जो निगम या जल संस्थान के हों तथा इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों से सम्बद्ध हों, न तो तोड़ेगा, न तो क्षति पहुँचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम या जल संस्थान के किसी ऐसे सीवेज सम्बन्धी कार्य के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे कोई गन्दगी निकालेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तदधीन किसी सीवेज सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जानबूझ कर उपेक्षा करेगा।

८१—प्रवेश, सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति—(१) निगम या जल संस्थान का उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, किसी भू-गृहादि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकता है :

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने;

(ङ) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने ; अथवा

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम या उपविधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(२) किसी निवास गृह या स्थान में उसके अध्यासी व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(३) निवास गृह के किसी भी भाग में रहने वाली महिलाओं को वहां से हटने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायगी ; और

(४) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाय, उसके अध्यासी व्यक्तियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक सम्भव हो, यथोचित ध्यान रखा जायगा।

(२) जब कभी निगम या जल संस्थान का उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति के लिए, यदि कोई हो, भुगतान करेगा या भुगतान निविदित करेगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो ऐसा विवाद निगम की दशा में, निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी भू-गृहादि में या उस पर प्रवेश करने का हकदार हो तो वह उसी प्रकार किसी संलग्न भू-गृहादि में या उसपर भी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्य के लिये या वहां कोई मिट्टी, प्रस्तर विशेष या अन्य पदार्थ इकट्ठा करने अथवा ऐसे कार्य पर पहुँचने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो उसके निष्पादन से सम्बद्ध हो, प्रवेश कर सकता है।

(४) किसी अधिकारी के लिये जो किसी स्थान में प्रवेश करने के सम्बन्ध में निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध खोलना या खुलवाना वैध होगा, यदि—

(क) वह समझता हो कि इस प्रकार प्रवेश करने के लिये उसका खोला जाना आवश्यक है ; तथा

(ख) स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो या उपस्थित होते हुए भी ऐसा दरवाजा या फाटक खोलने या ऐसा अवरोध हटाने से इन्कार करता हो।

(५) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुये, यथासम्भव, न्यूनतम क्षति पहुँचायेगा और ऐसी क्षति के लिये प्रतिकर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को या दोनों को देय होगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उक्त विवाद निगम की दशा में निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा।

८२—टंकी, पोखरों तथा कुओं को विसंक्रमित करने की शक्ति (Power to disinfect tanks, pools and wells)—(१) निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी टंकी, पोखरे या कुयें की सफाई या विसंक्रमण, उसके स्वामी या अध्यासी को, यदि कोई हो, नोटिस देने के पश्चात् उस समय करा सकता है जब उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी सफाई या विसंक्रमण किसी भी भयानक रोग को फैलने से बचायेगा या रोकेगा।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट सफाई या विसंक्रमण कराने का व्यय उक्त टंकी, पोखरे या कुयें के स्वामी या अध्यासी से वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय ९

शास्ति तथा प्रक्रिया (Penalties and procedure)

८३—अपराधों का संज्ञान—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः महीने के भीतर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उसका परिवाद न किया जाय।

८४—सामान्य शास्ति—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अधियाचना का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अग्रेतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे पचास रुपये तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा।

८५—कम्पनियों द्वारा अपराध—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किए।

(२) उपधारा (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा पर आरोप है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

८६—अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति—(१) यदि कोई व्यक्ति जिसने निगम या जल संस्थान के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो अथवा जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या न बताये अन्यथा ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो ऐसा अधिकारी उसका नाम व पता अथवा दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९३ की धारा ४२ की उपधारा (२) और (३) और धारा ४३, ४५, ४६, ५७, ५८ और ५९ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा ४२ की उपधारा (१) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

८७—अपराधों का शमन—(१) यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, या महाप्रबन्धक अथवा निगम या किसी जल संस्थान द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है।

(२) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमनित अपराधी के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायगी।

८८—पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कर्तव्य—ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का जिनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया जाय या करने का प्रयास किया जाये, यह कर्तव्य होगा कि वे जल संस्थान को या जल संस्थान के तदर्थ प्राधिकृत अधिकारियों को यथा-स्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने को या ऐसा अपराध करने का प्रयास किये जाने की तुरन्त सूचना दें और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता दें।

अध्याय १०

बाह्य नियंत्रण (External Control)

८९—नीति विषयक प्रश्नों पर निगम को निदेश—(१) अपने कर्तव्यों का पालन करने में निगम नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जाएं।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके संम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

९०—निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना (१) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये

अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो, और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(२) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा निगम के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे, जिनकी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

६१—नीति विषयक प्रश्नों पर जल संस्थान को निदेश—(१) अपने कर्तव्यों का पालन करने में जल संस्थान नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगा जो उसे निगम द्वारा दिये जायें।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में निगम उपधारा (१) के अधीन निदेश दे सकता है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

६२—जल संस्थान की रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना—(१) जल संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा निगम निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य कलापों का लेखा दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे निगम को प्रस्तुत करेगा, और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हों, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में जल संस्थान द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो।

(२) जल संस्थान, निगम को ऐसे समय पर और प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा निगम निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और जल संस्थान के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा जल संस्थान के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे, जिनकी निगम समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय ११

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

६३—सहायता देने का स्थानीय निकायों का कर्तव्य—(१) सभी स्थानीय निकाय, निगम या किसी जल संस्थान को ऐसी मदद और ऐसी सहायता दें तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए), ऐसे अभिलेख, मानचित्र, नक्शे और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अपेक्षित हों।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय मांग किये जाने पर भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और कर, फीस तथा परिव्यय उद्गृहीत करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची तथा अन्य संगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी

राय में निगम या किसी जल संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

९४—प्रतिकर का भुगतान करने के लिए सामान्य शक्ति—किसी ऐसे मामले में जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, निगम या जल संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकता है, जिसे निगम या जल संस्थान में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुँची हो।

९५—सद्भावना (Goodfaith) से किये गये कार्य का संरक्षण—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, निगम या जल संस्थान अथवा निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, या राज्य सरकार या निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित अथवा आशयित हो।

अध्याय १२

नियम, विनियम तथा उपविधियाँ (Rules, Regulations and Bye-laws)

९६—नियम बनाने की शक्ति—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) धारा ५० की उपधारा (३) के अधीन लेखा परीक्षक की शक्तियां ;

(ख) धारा ५१ के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी है ;

(ग) प्रक्रिया जिसका धारा ५३ की उपधारा (३) के अधीन वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा अनुसरण किया जायगा, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण सूचियों का अधिप्रमाणीकरण तथा उनकी अभिरक्षा, ऐसी सूचियों का पुनरीक्षण और कालावधि, ऐसी सूचियों का संशोधन और परिवर्तन और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद की दशा में अपील भी है ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अध्याय १३

संक्रमणकालीन उपबंध तथा निरसन

(Transitory Provision and Repeal)

९९—संक्रमणकालीन उपबन्ध—(१) सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए धारा १८ के अधीन कोई जल संस्थान गठित किया गया हो, ऐसे गठन के दिनांक के पूर्व जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, आरोपित जल कर अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, तथा उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे कर अथवा जल सम्भरण अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, निदेश, नियम, उपविधि अथवा प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत कोई कर-निर्धारण अथवा छूट या संयोजन, संयोजन काटने या पुनः संयोजन का आदेश जो किया गया हो या स्वीकृत हो अथवा किसी भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी पर आरोपित शास्ति अथवा किसी नल मिस्त्री को जारी किया गया कोई लाइसेन्स, अथवा तत्सम्बन्धी कोई आदेश भी है, जो स्थानीय क्षेत्र की अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय पर प्रयोज्य विधि के उपबन्धों के अधीन हो तथा उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध जल संस्थान ऐसे कर के आरोपण अथवा निर्धारण के निमित्त अथवा ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत करने अथवा संयोजन दिये जाने के निमित्त अथवा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के निमित्त कोई अन्य व्यवस्था न करें अथवा आदेश न दें अथवा अन्य कार्यवाही या कार्य न करें, तथा ऐसी अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, उपविधि अथवा लाइसेन्स के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानों वह सम्बद्ध जल संस्थान के प्रति निर्देश है, तथा विशेषतः ऐसे कर एवं फीस की आय सम्बन्धित स्थानीय निकाय की निधि में जाने के बजाय सम्बद्ध जल संस्थान की निधि में जायेगी।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ और [1][३० सितम्बर, १९७८] के बीच की अवधि में कोई नियम, विनियम या उपविधि धारा ९६, धारा ९७ या धारा ९८ के अधीन, यथास्थिति २० मई, १९७५ से पूर्व नहीं पड़ने वाले किसी दिनांक से पूर्वगामी प्रभाव से बनाए जा सकते हैं।

(३)[2] [* * *]

१००—निरसन तथा संशोधन धारा ९९ में की गई व्यवस्था के सिवाय, उस दिनांक को और से जब कोई जल संस्थान गठित किया जाय, जिसमें—

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९) में यथापरिभाषित नगर हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त अधिनियम की धारायें ११४ और ११५ और अध्याय १०, ११ १९, २२ और २५;

(ख) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसीपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६) में यथापरिभाषित कोई म्युनिसिपैलिटी हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त ऐक्ट की धारायें ७ और ८ और अध्याय ५, ७ और ९;

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या २८ सन् १९७८ द्वारा शब्द और अंक "१५ अगस्त, १९७६" के स्थान पर रखा गया।
2. उत्तरोक्त अधिनियम द्वारा निकाला गया।

९७—विनियम—(१) निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम या जल संस्थान के कार्य-कलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(२) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) निगम या जल संस्थान की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें की जायें, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और बैठकों में गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या ;

(ख) निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) संविदा पर सेवायोजित कर्मचारियों से भिन्न निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) निगम या जल संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध ;

(ङ) निगम या जल संस्थान की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन ;

(च) वह सीमा जिस तक प्रबन्ध निदेशक या महाप्रबन्धक किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक या अनावर्तक व्यय, धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र में सम्मिलित किये गये बिना, कर सकेंगे।

(छ) निगम या जल संस्थान द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन निगम या जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्रक्रिया ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

(३) जब तक उपधारा (१) के अधीन निगम या जल संस्थान द्वारा कोई विनियम न बनाये जायं, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम या जल संस्थान उपधारा (१) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है या उन्हें विखण्डित कर सकता है।

९८—उप-विधियां (Bye-laws)—निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, सर्वसाधारण को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के निबन्धन एवं शर्तें

(ख) मीटरों का लगाया जाना और उनके संयोजन को अन्तरित करना, और उनका प्रयोग, अनुरक्षण, जांच करना, संयोजन काटना और उसका पुनः संयोजन, उसके सम्बन्ध में फीस, किराया तथा अन्य परिव्यय जिसके अन्तर्गत जमानत द्वारा प्रतिभूति देना भी है और उससे सम्बद्ध विषय ;

(ग) निगम या जल संस्थान के सीवर से संयोजन के लिए दी जाने वाली फीस और ऐसे संयोजन के लिए अन्य निबन्ध एवं शर्तें ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए उपविधियों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

(ग) संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, १९१४ (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९१४) में यथापरिभाषित कोई टाउन एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त अधिनियम की धारायें ३, १४, और ३५ और अध्याय ५ और ६;

(घ) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६) में यथापरिभाषित कोई नोटीफाइड एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में यथापरिष्कृत तथा प्रसारित खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उक्त ऐक्ट के उपबन्ध;

(ङ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१) में यथापरिभाषित, यथास्थिति, कोई खण्ड या किसी जिले का ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त अधिनियम के अध्याय ३, ७, ८ और १४;

(च) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९४७) में यथापरिभाषित गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत कोई क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ और ५ के उपबन्ध;

उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा जल संस्थान को सम्पादित शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य जिसके अन्तर्गत उक्त कर्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखने की शक्ति भी है, यथास्थिति, महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् या गांव सभा की शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के बाहर थे।

१०१—जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निधि (Fund)—(१) धारा १०० में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय निकाय की जहां जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं या दोनों ही हों, एक पृथक् निधि होगी जिसे "जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निधि" कहा जायगा, जो स्थानीय निधि समझी जायेगी तथा जिसमें ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी सेवाओं की प्रोन्नति, संचालन, अनुरक्षण तथा उनके प्रबन्ध के लिए प्राप्त सभी धनराशियों को तथा ऐसे समस्त राजस्व को भी जो उपर्युक्त सेवायें किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हों, जमा किया जायगा।

(२) उपर्युक्त निधि में जमा की गयी धनराशि का उपभोग अनन्य रूप से जल सम्भरण अथवा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनों के लिए अथवा दोनों के लिए ही किया जायगा।

१०२ कठिनाइयों को दूर करना—(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, विशेषतः धारा १०० में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम अथवा उक्त अधिनियमितियां उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हो सकते हैं, तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त न दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

१०३—निरसन तथा अपवाद (Repeal and Saving)—(१) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, १९७५ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १०, १९७५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है;

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम २० मई, १९७५ से प्रवृत्त हो गया था।

उत्तर प्रदेश

जल (मल और व्यावसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली १९८१[1]

[U. P. Water (Consent for Discharge of Sewage and Trade Effluents) Rules, 1981]

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९७४ (अधिनियम संख्या ६, सन् १९७४) की धारा २५ की उपधारा (२) और (३) और धारा २६ की उपधारा (३) के साथ पठित धारा ६४ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

१ संक्षिप्त नाम—यह नियमावली उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यावसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, १९८१ कही जायगी।

२—परिभाषायें—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में,

(क) अधिनियम का तात्पर्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ से है,

(ख) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड से है,

(घ) "सदस्य-सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य-सचिव से है,

(ङ) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा २८ के अधीन गठित प्राधिकारी से है,

(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(छ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है,

(ज) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिये गये हैं।

३—सहमति (Consent) के लिए आवेदन-पत्र—(१) अधिनियम की धारा २५ के अधीन मल या व्यावसायिक बहिःस्राव के किसी सरिता या कुएं में निस्सरण के लिये किसी नये या परिवर्तित निकास का उपयोग करने या किसी सरिता या कुएं में मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नया निस्सरण करने के लिये या धारा २६ के अधीन किसी सरिता या कुएं में मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का विद्यमान निस्सरण चालू रखने के लिये बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र एक में बोर्ड को दिया जायगा।

---

१. राज्यपाल महोदय ने विज्ञप्ति संख्या ११३४/९-२-१३७-७९, दिनांक ३० मार्च, १९८१ द्वारा इस नियमावली को पारित किया।